राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग

क्रमांकः– एफ.वी. 3( )/निगो/गोपंनसु/मु.मं. ब.घो./2016/469-508 दिनांकः– 05.01.2018.

सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक (समस्त),
जिला संयुक्त निदेशक (समस्त),
पशुपालन विभाग, ...

विषय :– गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित गौवंश को सहायता राशि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 05.01.2018 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में जारी दिशानिर्देश दिनांक 05.01.2018 के अनुरूप पंजीकृत गौशालाओं तथा कांजी हाऊस में संधारित गौवंश हेतु सहायता राशि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2018 (अधिकतम 90 दिवस) हेतु दी जानी है। इस क्रम में जिले की समस्त गौशालाओं/कांजी हाऊस में संधारित गौवंश की गणना व सर्वे का कार्य दिनांक 10.01.2018 से प्रारम्भ किया जाना है। यह सर्वे निर्धारित **प्रपत्र–अ** में यथाशीघ्र पूर्ण किया जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी पंजीकृत गौशाला तथा कांजी हाऊस सर्वे से वंचित नहीं रहे। उक्त सर्वे का कार्य अधिकतम दिनांक 20.01.2018 तक सम्पन्न किया जाना आवश्यक है।

सर्वे समाप्ति के तुरन्त पश्चात इसकी सूचना निर्धारित **प्रपत्र–ब** में निदेशालय गोपालन को दिनांक 22.01.2018 तक भिजवाना सुनिश्चित करे ताकि निधि राशि से बजट आवंटन की कार्यवही की जा सके। दिशानिर्देशों में अंकित समय सारणी की अक्षरशः पालना की जाना सुनिश्चित करे।

उक्त क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्र के नोडल पशु चिकित्सा अधिकारी तथा गौशाला प्रबन्धक/सचिव की बैठक दिनांक 09.01.2018 तक आयोजित कर इन दिशानिर्देशों एवं प्रावधानों से उनको अवगत करावे तथा जिला कलक्टर से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं समन्वय कर प्रावधानों से अवगत करावे ताकि पारदर्शिता के साथ नियमानुसार सहायता राशि गौशाला/कांजी हाऊस को समय पर उपलब्ध कराई जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (प्रपत्र–अ एवं ब)

05/01/2018

शासन उप सचिव

क्रमांकः– एफ.वी. 3( )/निगो/गोपंनसु/मु.मं. ब.घो./2016/509-597 दिनांकः– 05.01.2018.

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सम्भागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
2. जिला कलक्टर (समस्त) राजस्थान।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
4. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, गोपालन विभाग, राज. जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (समस्त), नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (समस्त), जिला परिषद, राजस्थान।
8. अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग क्षेत्र, ... राजस्थान।

निदेशक गोपालन

प्रपत्र (अ)

दिनांक सर्वे (दिनांक 10.01.2018 से दिनांक 20.01.2018) को गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित वास्तविक गौवंश की सख्या हेतु सर्वे/निरीक्षण का प्रारूप

निरीक्षण की दिनांक ....

(1) निरीक्षक अधिकारी का नांम एवं पदनाम :– ....

(2) गौशाला/कांजी हाऊस का पूरा नाम एवं पंता ....

(3) तहसील .... (3) जिला ....

(4) गौशाला अध्यक्ष का नाम .... मोबाइल नं. ....

(5) गौशाला प्रबन्धक का नाम .... मोबाइल नं. ....

(6) गौशाला का राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 में पंजीयन क्रमांक/दिनांक ....

(7) गौशाला का राजस्थान सोसयटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 में पंजीयन क्रमांक/दिनांक ......

(8) गौशाला का अन्य अधिनियम में पंजीयन क्रमांक/दिनांक ....

(9) गौशाला क्रियाशील है अथवा अक्रियाशील ....

सर्वे दिनांक .... को संधारित एवं आवासित गौवंश का विवरण :–

गौशाला/कांजी हाऊस का नाम	बड़े गौवंश	छोटे गौवंश	कुल गौवंश

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

पद

मो.

प्रपत्र (ब)

गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि, 2016 से गौशालाओं/कांजी हाऊस में आवासित गौवंश को सहायता राशि के संदर्भ में सर्वे (दिनांक 10.01.2018 से दिनांक 20.01.2018) को गौशालाओं/कांजी हाऊस में संधारित वास्तविक गौवंश की सख्या हेतु जिला कार्यालय द्वारा भिजवाई जाने वाली इकजाई सूचना का प्रारूप

जिला...

क्र. सं.	गौशाला/कांजी हाऊस का नाम	पंजीयन का वर्ष	गौशाला को आवंटित कोड	बड़े गौवंश	छोटे गौवंश	कुल गौवंश	पात्र गौशाला हेतु आवश्यक बजट राशि
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

नोट :– यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि जिले की कोई भी गौशाला सर्वे से नहीं छूटी है।

जिला संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग, ...